

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
अधिसूचना

पटना दिनांक...../...../2012

सं० सं० डी०एल०ए० प० चम्पारणरा० चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-धनहा, परगना -मझौवा, थाना-बगहा (धनहा) जिला प० चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् - धनहा घाट से रतवल घाट के बीच गंडक नदी पर पुल के गाईड बाँध के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम -धनहा न०-278 के भीतर कमोवश 17 बीघा 13 कठठा 09 धुर जो मानक माप 5.8425 एकड़ के बराबर होता है, एक भू-खंड अपेक्षित है, जिसका अंश खेसरा संख्या -सूची 'क' है तथा इस भू-खंड की चौहदी निम्न प्रकार है :-

उत्तर :-
दक्षिण :-
पूरब :-
पश्चिम :-

} सूची 'ख'

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1-1894 की धारा 4 एवं भू-अर्जन संशोधित अधिनियम 1984 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध है।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे वरीय परियोजना अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण नि० लि० विशेष कार्य प्रमण्डल, बेतिया पदाधिकारियों एवं स्टाफ को प्राधिकृत करता हूँ कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथाउपबन्धित या यथाविनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजरX..... एकड़ तथा कृषि योग्य 5.8425 एकड़ है तथा उसका तुरंत अर्जन आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम का धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबन्ध उक्त भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

समाहर्ता

पश्चिम चम्पारण, बेतिया ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के ~~अध्यक्ष~~ -सचिव

ज्ञापांक.....-2085/27/डी०एल०ए०, प० चम्पारण पटना, दिनांक -27-08-13

- प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना प्रारूप की 3 (तीन) प्रतियों सी० डी० के साथ दो दैनिक समाचार पत्र में जिनमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशित करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बेतिया को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजपत्र, प० चम्पारण बेतिया को जिला राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित कराने और इसकी पॉच अतिरिक्त प्रतियों इस विभाग को यथाशीघ्र भेजने के लिए भेजी जाती है।
- प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, प० चम्पारण बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के ~~अध्यक्ष~~ -सचिव

मौजा - धनहा नं० 278

सूची 'क'

पूर्ण खेसरा नं० - 5025, 5535, 5534, 5533, 5532, 5530, 5500, 5498, 5492

अंश खेसरा नं० - 5037, 5035, 5034, 5036, 5031, 5021, 5024, 5536, 5538, 5529, 5027, 5026, 5028, 5497, 5501, 5503, 5504, 5499, 5493, 5494, 5495, 5491, 5505, 5506

चौहदी सूची 'ख'

खण्ड 'क'

उत्तर :- अंश खेसरा नं० 5037, 5035, 5034 ।

पश्चिम :- वर्तमान निर्माण पुल एवं पूर्ण खेसरा नं० 5039 ।

दक्षिण :- पूर्ण खेसरा नं० 5039 एवं अंश खेसरा नं० 5031, 5021 ।

पुरब :- रिग बांध ।

(खण्ड 'ख')

उत्तर :- अंश खेसरा नं० 5034, 5031, 5026, 5027, 5028, 5499 ।

दक्षिण :- पूर्ण खेसरा नं० 5531 एवं अंश खेसरा नं० 5031, 5024, 5536, 5538, 5529, 5501, 5502, 5499, 5503, 5504 ।

पुरब :- }

पश्चिम :- } रिग बांध ।

(खण्ड 'ग')

उत्तर :- अंश खेसरा नं० 5495 एवं 5491 ।

दक्षिण :- अंश खेसरा नं० 5504, 5505, 5506 ।

पुरब :- मौजा सेमरवारी नं० 276 की सीमा रेखा ।

पश्चिम :- रिग बांध ।

26/12/12

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।